

**छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल
पुराना नर्सेस हास्टल, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
रायपुर, छत्तीसगढ़**



क्रमांक / रजि० नर्सिंग कां० / २०२२ /
प्रति,

रायपुर, दिनांक / / २०२२

समस्त शासकीय / निजी
जी.एन.एम. नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र (छ.ग.)

विषय:- छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल द्वारा आयोजित 37वीं काउन्सिल मुख्य परीक्षा, पाठ्यक्रम जी.एन.एम. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष, के नियमित छात्रों के पुनर्मूल्यांकन(Re-Evaluation)/पुनर्गणना (Re-totaling) की सूचना बाबत्।

—::०००::—

छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल द्वारा आयोजित (37वीं काउन्सिल मुख्य परीक्षा) के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन आंमत्रित किए जाते हैं। आवेदन फार्म भरने कि अंतिम तिथि ०९ / १२ / २०२२ है।

पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना आवेदन – पत्र संबंधी प्रक्रिया के निर्देश निम्न है :-

1. समस्त प्राचार्या/परीक्षार्थी, काउन्सिल द्वारा पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु निर्धारित नियमों व निर्देशों का समुचित अध्ययन करने के उपरांत नियमों के अधीन पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु आवेदन करें।
2. छात्र अपना आवेदन पत्र सोच समझकर सही सही भरे। आवेदन पत्र के किसी भी प्रकार का सुधार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
3. आवेदन केवल प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य द्वारा सत्यापित कर एवं संस्था के माध्यम से ही छ.ग. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल की ओर प्रेषित करें।
4. जी.एन.एम. परीक्षाओं के परिणाम पश्चात् नियमित छात्र के रूप में सम्मिलित छात्र निम्नानुसार पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना करवाने के पात्र होंगे।
 - (अ) जी.एन.एम. प्रथम, द्वितीय, एवं तृतीय वर्ष के नियमित छात्र जो दो विषय में उत्तीर्ण हो।
 - (ब) उक्त पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना प्रायोगिक (Practical) व आंतरिक (Internal) प्रांप्तांक पर लागू नहीं होगा।
5. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु आवेदन पत्र निम्नलिखित नियमों के आधार पर पात्रतानुसार स्वीकार्य नहीं किया जावेगा।
 - (अ) पूरक/ए.टी.के.टी की श्रेणी से सम्मिलित द्वितीय पूरक परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जावेगे।

(2)


Cont....

6. आवेदक को पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना में से किसी एक ही आवेदन की पात्रता होगी।
7. पुनर्मूल्यांकन आवेदन हेतु टी.आर.शीट/ऑनलाईन पेमेन्ट की प्रतिलिपि लगाना अनिवार्य है।
8. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना शुल्क 500 रु. प्रति विषय केवल Online Payment Mode द्वारा ही मान्य होगा।
9. अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
10. परीक्षार्थीयों को पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना परिणाम की सूचना/जानकारी संबंधित संस्था के माध्यम से Website – www.cgnrc.org के माध्यम से प्राप्त होगी।
11. परीक्षार्थीयों को पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना परिणाम घोषित होने के एक माह के अंदर संबंधित परीक्षा (यदि उनके परिणाम घोषित नहीं हुए हो तो) काउन्सिल को अवगत कराना आवश्यक है, ताकि इस संबंध कार्यवाही किया जा सके।
13. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के लिए छात्रों द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र जमा किये जाने पर मान्य नहीं किया जायेगा।

- नोट:-
1. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना केवल नियमित परीक्षार्थीयों के लिये ही लागू होगा।
 2. शेष पूरक (Supply) एवं ए.टी.के.टी. विद्यार्थीयों के परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि दिनांक 31.01.2023 होगी।

रजिस्ट्रार
छ.ग. नर्सेस रजि. काउन्सिल
रायपुर, छ.ग.
क्रमांक/रजिस्ट्रेशन नं/2022/3434
प्रतिलिपि :-
रायपुर, दिनांक 2/12/2022

1. अध्यक्ष, छ.ग. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. अवक-जावक शाखा, स्थानिय कार्यालय की ओर सादर सूचनार्थ।
3. वेबसाइट प्रति।


Registrar
C.G. Nurses Reg. Corp
रजिस्ट्रार (C.G.)
छ.ग. नर्सेस रजि. काउन्सिल
रायपुर, छ.ग.